**भारत सरकार**

**भारी उद्योग मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 257**

**04 फ़रवरी, 2025 को उत्तर के लिए नियत**

**"पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना का द्वितीय चरण"**

257. **श्री शशांक मणि**:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य घटकों और वित्तीय परिव्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना में क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को समर्थन देने के लिए विशिष्ट उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में पूंजीगत वस्तु उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास को बढ़ावा देने के संदर्भ में योजना के द्वितीय चरण के अपेक्षित परिणाम क्या हैं?

**उत्तर**

**भारी उद्योग राज्य मंत्री**

**(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) और (ख): नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को सहायता देने के लिए भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की स्कीम-चरण- II के तहत छह घटक हैं, नामतः :

i. प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टलों के माध्यम से प्रौद्योगिकियों की पहचान;

ii. नए उन्नत उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों का संवर्धन;

iii. पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में कौशल को बढ़ावा देना-कौशल स्तर 6 और उससे ऊपर के लिए योग्यता पैकेज का सृजन;

iv. सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्रों (सीईएफसी) की स्थापना और मौजूदा सीईएफसीएस का विस्तार;

v. मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों का विस्तार; और

vi. प्रौद्योगिकी विकास के लिए उद्योग त्वरकों की स्थापना.

इस स्कीम में 975 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता और 232 करोड़ रुपये के उद्योग योगदान के साथ 1207 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय है।

(ग): पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए स्कीम-चरण-II का उद्देश्य चरण-I की प्रयोगिक स्कीम द्वारा सृजित प्रभाव का विस्तार और परिवर्धन करना है, जिससे एक मजबूत और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के सृजन के माध्यम से अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके।

*****